



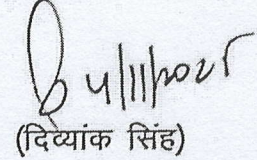
भोपाल, दिनांक 04/11/2025

// आदेश //

क्र./स्था.-01/यां.प्र./2025/22909 :: नगर पालिक निगम भोपाल से प्राप्त प्रस्ताव दिनांक 10.06.2025 के आधार पर श्री लालजी सिंह चौहान, तत्कालीन नगर निवेशक एवं प्रभारी कार्यपालन यंत्री, नगर पालिक निगम भोपाल को नियम विरुद्ध भवन निर्माण की स्वीकृति जारी किये जाने के कारण संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. भोपाल के आदेश क्रमांक 11868 दिनांक 11.08.2025 द्वारा निलंबित किया जाकर मुख्यालय कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल संभाग भोपाल किया गया है।

श्री लालजी सिंह चौहान, तत्कालीन नगर निवेशक एवं प्रभारी कार्यपालन यंत्री, नगर पालिक निगम भोपाल को आरोप पत्र संचालनालय के पत्र क्रमांक 17969 दिनांक 20.08.2025 से जारी किया गया, जिसके अनुक्रम में श्री चौहान द्वारा प्रस्तुत अंतरिम प्रत्युत्तर एवं निलंबन से बहाल करने हेतु प्राप्त अभ्यावेदन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुये श्री लालजी सिंह चौहान, प्रभारी कार्यपालन यंत्री को निलंबन से बहाल करते हुये प्रभारी कार्यपालन यंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास नर्मदापुरम संभाग नर्मदापुरम में पदस्थ किया जाता है, श्री चौहान अपने कार्य के साथ छावनी परिषद पंचमढ़ी के भी तकनीकी कार्यों का संपादन करेंगे।

निलंबन अवधि का निराकरण विभागीय जांच पूर्ण होने के उपरान्त किया जावेगा।
(सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित)


(दिव्यांक सिंह)

अपर आयुक्त
नगरीय प्रशासन एवं विकास
म.प्र. भोपाल

भोपाल, दिनांक 04/11/2025

पृ.क्रमांक/22910 स्था.-01/यां.प्र./2025
प्रतिलिपि:-

1. स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. अपर आयुक्त (स्थापना), संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
4. प्रमुख अभियंता, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल।
5. संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल/नर्मदापुरम संभाग।
6. अधीक्षण यंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल/नर्मदापुरम संभाग।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छावनी परिषद पंचमढ़ी जिला-नर्मदापुरम।
8. श्री लालजी सिंह चौहान, प्रभारी कार्यपालन यंत्री को निर्देशित किया जाता है कि आरोप पत्र का अंतिम उत्तर अविलम्ब प्रस्तुत करें, जिससे प्रकरण का परीक्षण कर विभागीय जांच के संबंध में कार्यवाही की जा सके।
9. वेब कंटेन्ट मैनेजर, सीएमए, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास, की ओर उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


अपर आयुक्त
नगरीय प्रशासन एवं विकास
म.प्र. भोपाल